

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :—72/2019 (2019/00201)

दर्ज दिनांक 20.06.2019

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

श्रीराम आत्मज लेहरू जाट तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थी

बनाम

1. प्यारा आत्मज शंकर बलाई
 2. नंदा आत्मज भुरा बलाई
 3. शंकर आत्मज मोडा बलाई
 4. रतन आत्मज जगरूप कुम्हार
 5. नंदा रामा कुम्हार
 6. गोपीलाल आत्मज श्रीराम जाट
 7. नारु आत्मज भुरा जाट
 8. हीरा कुम्हार
 9. देवीलाल आत्मज सोहन कुम्हार
- सर्व निवासी डेलाना तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

उपस्थिति— अधिवक्ता प्रार्थीगणः— श्री मनीष दाद्रीच

अधिवक्ता विपक्षी सं0 07ः— श्री मुकेश चौधरी

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय

दिनांकः—07.09.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम डेलाना पटवार हल्का डेलाना तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 968 रकबा 0.54 हे0, 969 रकबा 0.02 हे0, 970 रकबा 0.53 हे0, 971 रकबा 0.15 हे0, 972 रकबा 0.08 हे0, 1127 रकबा 0.23 हे0, 1516 रकबा 0.19 हे0, 2708 रकबा 0.87 हे0 कुल किता 08 कुल रकबा 2.61 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 434 पर दर्ज होकर स्थित हैं। जिसकी जमाबन्दी संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 2 लगायत 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षीगण संख्या 1, 8 व 9 के विरुद्ध प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा कोई दाद नहीं चाही गई। विपक्षी संख्या 07 के अधिवक्ता को कई अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं अतः जवाबदेही बंद की जाती है। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना गया। विपक्षी संख्या 07 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर विरोध प्रदर्शित किया।

Raj

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम डेलाना पटवार हल्का डेलाना तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 968 रकबा 0.54 हे0, 969 रकबा 0.02 हे0, 970 रकबा 0.53 हे0, 971 रकबा 0.15 हे0, 972 रकबा 0.08 हे0, 1127 रकबा 0.23 हे0, 1516 रकबा 0.19 हे0, 2708 रकबा 0.87 हे0 कुल किता 08 कुल रकबा 2.61 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 434 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढ़ी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 850/- (आठ सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढ़ी की कमिश्नर फीस राशि 850/- (आठ सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.